

कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: अधिसूचना :-

क्रमांक 201703201400003/अ-82/भू-अर्जन/2016-17कोण्डागांव, दिनांक 27/10/2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की ग्राम-पाण्डेआठगांव, तहसील-फरसगांव भू-अर्जन अन्तर्गत पाण्डे आठगांव-चांदागांव मार्ग के कि.मी. 2/6 भवंरडीह नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु कुल रकबा 0.623 हे. भूमि की आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

-: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन-

1. जिला - कोण्डागांव
2. तहसील - फरसगांव
3. ग्राम - पाण्डे आठगांव
4. भूमि का क्षेत्रफल- 0.623 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | कुल रकबा (हेक्टेयर में) | प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में) |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| ग्राम-पाण्डे आठगांव | | |
| 35/3 | 3.358 | 0.081 |
| 35/2ग | 2.306 | 0.259 |
| 35/2ड. | 2.109 | 0.101 |
| 35/9 | 0.283 | 0.101 |
| 40/1क | 0.364 | 0.081 |
| योग :- 05 | 8.420 | 0.623 |

- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) फरसगांव के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कुणाल दुदावत)

कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//2//

पृ0क्र0/201703201400003/अ-82/भू-अर्जन/2016-17कोण्डागांव, दिनांक 25/10/2024
प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, कांकेर को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में कराने एवं प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसगांव को उपलब्ध कराने बाबत।
2. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसगांव को उपलब्ध कराने बाबत।
3. तहसीलदार फरसगांव को अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसीलदार फरसगांव, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसगांव, कलेक्टर जिला-कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत-पाण्डे आठगांव, कार्यालय जनपद पंचायत फरसगांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसगांव को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।

(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग